प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 13.08.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 03 हिस्ट्रीशीटर सहित कुल 11 अभियुक्तो (36, 37 व 38वें हिस्ट्रीशीटर) को आजीवन कारावास व 06 लाख 67 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

कार्यवाहीः–

दिनांक 05.02.2021 को वादी श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र छतर सिंह निवासी सियोहरा गिरधर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि उसके पुत्र रचित की कुछ दिन पूर्व सारिक पुत्र सईद से कहासुनी हो गयी थी, जिस पर सारिक ने उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी थी। दिनांक 05.02.2021 को उसका पुत्र मोबाइल खरीदने के लिये कस्बा झालू गया था तभी दिन में करीब 14.00 बजे शारिक पुत्र सईद, शादाब पुत्र शफीक, शहबर पुत्र सरवर, शहजान पुत्र इरफान निवासीगण मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व आसिफ निवासी मौ0 निकट जामा मस्जिद कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने उसके पुत्र रचित को गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी थी। इस संबंध में दिनांक 05.02.2021 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 34/21 धारा 147/148/149/302/506 भादवि व 07 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में वाजिद पुत्र साबिर उर्फ बुद्धू, समीर शेख पुत्र इनामुलनबी निवासीगण मौ0 सादात कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर, जोनी पुत्र यशपाल, रितिक पुत्र जागेश निवासीगण ग्राम रामपुर नौआबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर, मतीन पुत्र मुन्ना मुस्तफा निवासी मौ0 लकडहारान कस्बा नहटौर जनपद बिजनौर व नाजिम पुत्र मोहसिन निवासी मौ0 कानूनगोयान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया। विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियोग में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 13.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर-1, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 34/21 धारा 147/148/302/149, 302/120बी, 212/504/506 भादवि व धारा 07 आपराधिक कानून

(संशोधन) व धारा 66 आईटी एक्ट में अभियुक्त 1- शारिक 2- शादाब 3- शहबर 4- शहजान 5- आसिफ 6- वाजिद 7- समीर शेख 8- जोनी 9- रितिक 10- मतीन व 11- नाजिम उपरोक्त **सभी को आजीवन कारावास व कुल 06 लाख 67 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शारिक (HS No – 90A), शहबर (HS No – 87A) व आसिफ (HS No – 43A) उपरोक्त थाना हल्दौर के हिस्ट्रीशटर अपराधी है, जिनके विरुद्ध थाना हल्दौर, थाना कोतवाली शहर पर गैगस्टर, हत्या व आर्म्स एक्ट के अभियोग पंजीकृत है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। इसी क्रम में जनपद के सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने थानो के हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुये माननीय न्यायालय से अधिकतम सजा सुनिश्चित कराये।

उक्त निर्देशो के अनुपालन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत हिस्ट्रीशीटर आसिफ, शारिक व सहवर उपरोक्त को चिन्हित किया गया था। उक्त अभियान में प्राथमिकता के आधार पर थाना हल्दौर के हिस्ट्रीशीटर आसिफ, शारिक व शहवर को सजा करायी गयी है।

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में अब तक कुल 38 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तो को सजा कराई गयी है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- शारिक **(HS)** पुत्र सईद निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2- शहबर **(HS)** पुत्र सरवर निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

3- आसिफ **(HS)** पुत्र हसनैन आबदी उर्फ नईम नि0 कस्बा झालू थाना हल्दौर बिजनौर।

4- शहजान पुत्र इरफान निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

5- शादाब पुत्र शफीक निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

6- वाजिद पुत्र साबिर उर्फ बुद्दू निवासी मौ0 सादात कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

7- समीर शेख पुत्र इनामुलनबी निवासी मौ0 सादात कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

8- जोनी पुत्र यशपाल निवासी ग्राम रामपुर नौआबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

9- रितिक पुत्र जागेश निवासी ग्राम रामपुर नौआबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

10- मतीन पुत्र मुन्ना मुस्तफा निवासी मौ0 लकडहारान कस्बा नहटौर थाना नहटौर बिजनौर।

11- नाजिम पुत्र मोहसिन निवासी मौ0 कानूनगोयान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 13.08.2025**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 212/2025 धारा 105/3(5) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 12.08.2025 को वादी ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.शाने आलम पुत्र रईस अहमद, 2.जावेद अली पुत्र इदरीश, 3.अब्बु तालिब पुत्र तनवीर अहमद, 4.मो0 जाहिद पुत्र तनवीर अहमद समस्त निवासीगण ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर वादी के भाई के साथ लाठी-डन्डो से मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिया जिसकी उपचार के दौरान वादी के भाई की मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0स0 212/2025 धारा 105/3(5) बीएनएस व 3(2)5 SC/ST ACT बनाम 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 13.08.2025 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित 04 अभियुक्तगण 1.शाने आलम पुत्र रईस अहमद, 2.जावेद अली पुत्र इदरीश, 3.अब्बु तालिब पुत्र तनवीर अहमद, 4.मो0 जाहिद पुत्र तनवीर अहमद समस्त निवासीगण ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया जिनकी निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त 04 लाठियां बरामद की गई। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तो से की गई पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश मे आये कि उनकी वादी के भाई (मृतक) उपरोक्त से काफी समय पहले कहासुनी हुई थी। दिनांक 09.08.2025 की रात्रि में वादी का भाई जोकि अपने घर जा रहा था, गली मे अभियुक्तो को मिला जिसके साथ अभियुक्तों द्वारा टोकाटाकी की गई तो अभियुक्तो व वादी के भाई के मध्य बहस हो गई। बहस के ज्यादा बढ जाने पर अभियुक्तो द्वारा लाठियों से वार कर वादी के भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया जिससे चारो अभियुक्तगण डरकर वहां से भाग गए तथा उनके द्वारा अपनी लाठियां शकरपुरी फ्लाईओवर के पास झाड़ियों में छिपा दी गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.शाने आलम पुत्र रईस अहमद निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2.जावेद अली पुत्र इदरीश निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

3.अब्बु तालिब पुत्र तनवीर अहमद निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

4.मो0 जाहिद पुत्र तनवीर अहमद निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

घटना मे प्रयुक्त 04 लाठियां

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 212/2025 धारा 105/3(5) बीएनएस व 3(2)5 SC/ST ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री अर्जुन तोमर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 661 सतेन्द कुमार किरतपुर जनपद बिजनौर।
4. आरक्षी 315 सहदेव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
5. आरक्षी 1018 नीरज थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
6. आरक्षी प्रवेन्द्र तोमर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावली **दिनांक – 13.08.2025**

थाना मण्डावली पुलिस ने मु0अ0सं0 20/2025 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 20.03.2025 को वादी ने थाना मण्डावली पर तहरीर दी कि अभियुक्त नय्यर पुत्र मकसूद निवासी ग्राम जहीरपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर सहित 07 अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर धोखादडी करते हुए फर्जी कागजात तैयार कर जमीन का इकरारनामा कराया गया तथा वादी से पैसे हडप लिये गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 20/2025 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 13.08.2025 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त नय्यर पुत्र मकसूद निवासी ग्राम जहीरपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नय्यर पुत्र मकसूद निवासी ग्राम जहीरपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 20/2025 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी इमरान थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ   दिनांक – 13.08.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने हत्या की घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त चाकू, स्कॉर्पियो गाडी एवं मृतक के मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.08.2025 को थाना अफजलगढ़ क्षेत्रान्तर्गत सुआवाला-बादीगढ़ मार्ग पर महसनपुर चौराहे के पास सीरिया वाली छोटी नहर में विश्वास (उम्र लगभग 22 वर्ष) पुत्र राजाराम निवासी ग्राम चक थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर का शव बरामद हुआ था । मृत्यु का वास्तविक कारण ज्ञात करने के लिये शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया । इस संबंध मे मृतक के पिता राजाराम की तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 237/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया । घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया ।

कार्यवाही विवरण-

थाना अफजलगढ पुलिस टीम को उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम महसनपुर से शाहपुर जमाल जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैंकिग के दौरान एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाडी न0 UK06V-2346 तेज गति से ग्राम शाहपुर जमाल की तरफ से आती हुई दिखायी दी, गाडी मे बैठे संदिग्ध व्यक्ति द्वारा गाडी को रोककर भागने का प्रयास किया गया तो स्थानीय पुलिस द्वारा पीछा कर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम प्रशान्त पुत्र चतरू निवासी ग्राम चक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर बताया । अभियुक्त के कब्जे से बरामद गाडी को खोलकर चैक किया तो ड्राईवर के बराबर वाली शीट पर जगह जगह ब्लड (खून) के निशान व छींटे लगे थे । सख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्त प्रशान्त द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वादी के पुत्र विश्वास उपरोक्त की हत्या करने का जुर्म स्वीकार किया गया । अभियुक्त प्रशान्त की निशांदेही पर ग्राम महसनपुर के पास झाडियो से घटना मे प्रयुक्त चाकू, अभियुक्त के खून से सने हुए कपडे (कमीज) तथा अभियुक्त द्वारा मृतक का तोडकर फेंका गया मोबाईल फोन बरामद किया गया । आलाकत्ल चाकू की बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 4/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई ।

पूछताछ विवरण

अभियुक्त प्रशान्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी विश्वास (मृतक) से मित्रता थी। कुछ दिन पूर्व विश्वास ने अभियुक्त प्रशान्त का मोबाइल फोन ले लिया था और उसमें से प्रशान्त एवं उसकी प्रेमिका के निजी फ़ोटो अपने फोन में सुरक्षित कर लिये थे। विश्वास लगातार इन फ़ोटो को आधार बनाकर प्रशान्त को ब्लैकमेल / डराता था तथा सोशल मीडिया स्टेटस पर प्रशान्त एवं उसके परिजनों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था। इसी बात से क्षुब्ध होकर प्रशान्त ने विश्वास से छुटकारा पाने की योजना बनाई। योजनानुसार दिनांक 09.08.2025 को अभियुक्त प्रशान्त ने विश्वास को किसी लडकी से मिलाने के बहाने से बुलाया तथा अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी (न0 UK06V-2346 उपरोक्त) में पहले से रखी दो नींद की गोलियां रसगुल्ले/चमचम में मिलाकर विश्वास को खिला दीं, जिसके बाद अभियुक्त प्रशान्त विश्वास को गाड़ी में बैठाकर काशीपुर, ठाकुरद्वारा, सुरजननगर, भूतपुरी आदि विभिन्न स्थानों पर घुमाता रहा। नींद की गोलियां का असर होने पर बदहवास स्थिति में वह विश्वास को ग्राम महसनपुर-सुआवाला मार्ग पर स्थित जंगल में ले गया और चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर शव को वहीं पर फेंक दिया तथा घटना मे प्रयुक्त चाकू, मृतक विश्वास के मोबाइल फोन व खून से सनी कमीज को झाडियो मे फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रशान्त पुत्र चतरू निवासी ग्राम चक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण

1.एक आलाकत्ल चाकू
2.एक सफेद रंग की स्कार्पियो गाडी रजि0 UK06V2346
3.मृतक विश्वास का क्षतिग्रस्त एन्ड्रॉयड फोन
4.अभियुक्त प्रशान्त की रक्त रंजित कमीज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
5. है0का0 519 पीयूष खोखर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
6. है0का0 428 रवि मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
7. है0का0 662 प्रशान्त कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
8. का0 384 राहुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
9. का0 2118 अभिषेक ढाका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
10. का0 716 देवकरण थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
11. आरक्षी 1583 मोनू कुमार सर्विलांश सेल जनपद बिजनौर
12. का0 1215 अचिन कुमार सर्विलांश सेल जनपद बिजनौर